Corporation and also with other foreign companies/corporations;

(b) if so, the details of the joint venture/ projects planned by the Indian Oil Corporation;

(c) the details of investment propose to be made in each of these projects;

(d) by when these projects are expected to be launched; and

(e) the steps taken in this regard, till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTY OF PETROLEUM & NATUARAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (e) Indian Oil Corporation has proposed to set up a refinery in collaboration with M/s. Kuwait Petroleum Corporation. Requisite mandatory clearances will be obtained by the IOC after clearances will be obtained by the IOC after finalising detailed feasibility report for this project. The projected investment in this project will be known only after detailed Feasibility Report is finalised.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित बड़े मामले

2848. **श्री राम जेठमलानी: क्या प्रधान मंत्री 5 दिसम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1397 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित पड़ी शिकायतों की जांच पूरी किए जाने के संबंध में कभी कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे मामलों की वार्षिक औसत संख्या कितनी है जिनमें जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई नयी शिकायतों की वार्षिक औसत संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अन्वेषण संबंधी कम से कम मामले लंबित होने देने और ऐसे मामलों का जल्दी से जल्दी निपटाया जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करती है।

(ख) आठवीं योजना के पहले चार वर्षों में अर्थात् 1992 से 1995 तक की अवधि के दौरान जांच करके निपटाए गए मामलों की वार्षिक औसत संख्या 1308 है।

(ग) उपर्युक्त वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की वार्षिक औसत संख्या 1335 है।

Diversion of equity in public sector oil companies

2849. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have initiated any steps to divert its equity in public sector oil companies;

(b) if so, how much percentage of equity has been diverted;

(c) the total funds raised by such an exercise; and

(d) what would be done with these funds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) Government have initiated action for disinvestment of *5%* of its equity holding in Indian Oil Corporation Limited during 1996-97, But actual disinvestment has not taken place.

(d) The amount realised from disinvestment in various public sector enterprises (PSEs) is credited to the Consolidated Fund of India and a part of the revenue thus generated is also earmarked for creation of an investment fund to be used for strengthening of public sector enterprises.

जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा

2850. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री शिव चरण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री 18 जुलाई, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 496 के दिये गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर का अपना निजी संविधान है जिसके प्रति मंत्री और अन्य सरकारी कर्मचारी निष्ठा की शपथ लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें ऐसे कौन-कौन से प्रावधान हैं जो जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के अन्य राज्यों से अलग रखते हैं;